155

संख्या– /XIV–2/2013/3(9)/2013

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, काशीपुर,
जनपद ऊधमसिंह नगर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 19 अगस्त, 2013

विषय :–उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 284/XXVII(I)/2013 दिनांक 30–3–2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2012–13 तक के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि रू. 30,00,00,000/– (रू. तीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान संबंधी याचिकाओं में पारित किये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुनः यह भी कि यह प्रकिया/कार्यवाही सन्दर्भगत याचिकाओं में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन होगी।

3. उक्त ऋण का उपयोग केवल गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ही किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को धनराशि तत्काल प्रदान करा दी जायेगी। संबंधित प्रधान प्रबंधक/अधिशासी निदेशक, चीनी मिल यह सुनिश्चित करेंगे कि इस धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य मद में न किया जाए। व्यावर्तन की स्थिति में संबंधित प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. उक्त ऋण पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, जिसकी ब्याज सहित अदायगी आगामी पॉच वर्षो में वार्षिक किश्तों में की जायेगी। ब्याज सहित प्रथम किश्त की अदायगी 01.04.2014 तक देय होगी।

5. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर तिथि, लेखाशीर्षक, सूचित करते हुए भेजेंगे।

6. उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलें जब भी किश्तों का भुगतान करें या ब्याज जमा करें, यह महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजेंगेः–

1. कोषागार का नाम

2. चालान संख्या तथा दिनांक
3. जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज
4. लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया
5. शासनादेश संख्या और एव0एल0आर0 का संदर्भ
6. पिछले जमा का संदर्भ

उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलें, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड आहरण के प्रत्येक वर्ष अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायें।

7. भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा देगें।

8. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जायेगी। प्रधान प्रबन्धक /अधिशासी निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एवं गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र भी अनिवार्यतः शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

9. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/ उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाये।

10. यह गन्ना एवं चीनी आयुक्त तथा उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वे चीनी मिलों के वित्तीय घाटे को न्यूनतम/समाप्त करने तथा चीनी मिलों के लाभकारी संचालन हेतु दो माह के भीतर सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करते हुए अगले पेराई सत्र से पूर्व उसका कियान्वयन सुनिश्चित कर लें, तथा सुधारात्मक परिणामों से शासन को अवगत करायें।

14– व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युवल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–6401–फसल कृषि कर्म–00–109–वाणिज्यिक फसलें–10–उत्तराखण्ड सहकारी क्षेत्र/निगम की मिलों को ऋण–30–निवेश/ऋण के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

16– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 55(P)/XXVII(4)/2013 दिनांक 13 अगस्त, 2013 के कम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

संख्या : 1015 (1)/XIV–2/2013/3(9)/2013, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
3— जिलाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
4— गन्ना एवम् चीनी आयुक्त, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
5— सहायक गन्ना आयुक्त, उधमसिंहनगर।
6— वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर/देहरादून।
7— वित्त अनुभाग—4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8— बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10—निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

संख्या— 1015 (2)/XIV–2/2013/3(9)/2013, दिनांक 19 अगस्त ~~जुलाई~~, 2013 का संलग्नक ।

उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु मिलवार विवरण

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0स0	चीनी मिल का नाम	धनराशि (लाख में)
1	किसान सहकारी चीनी मिल नादेही, जनपद, ऊधमसिंहनगर	500
2	किसान सहकारी चीनी मिल गदरपुर, ऊधमसिंहनगर	500
3	बाजपुर को—आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, ऊधमसिंहनगर	500
4	किसान सहकारी चीनी मिल सितारगंज, ऊधमसिंहनगर	500
5	किच्छा शुगर कम्पनी लि. किच्छा, ऊधमसिंहनगर	500
6	डोईवाला शुगर कम्पनी लि, डोईवाला, देहरादून	500
	कुल योग	3000

(रू. तीस करोड़ मात्र)

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव